कार्यालय अधिशासीअभियन्ता
नलकूप खण्डतृतीय, इलाहाबाद

सार्व जनिक नीलामी सूचना संख्या–01/अ0अ0/2017–18/न0ख0तृ0इ0/दिनांक,इलाहाबाद 2017

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित स्क्रैप सामाग्रियों की नीलामी हेतु गठित समिति के समक्ष कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड तृतीय, इलाहाबाद के परिसर में दिनांक –18.01.2018 को अपरान्ह 02 बजे से निम्नलिखित शर्तो के अधीन की जायेगी। नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपने फोटो पहचान पत्र, निवास स्थान, कार्यालय का पता, दूरभाष न0/ मोबईल नं0, आयकर एवं व्यापार कर / जी0एस0टी0 की क्लियरेन्स की नोटरी से सत्यापित कराते हुये प्रतिदिनांक – 01.01.2018 से 18.01.201 (पूर्वान्ह) तक किसी भी कार्य दिवस में अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड तृतीय, इलाहाबाद के कैशियर से निर्धारित मूल्य देकर कार्यावधि में नीलामी प्रपत्र प्राप्त एवं जमा कर सकते है।

क्र. स.	निष्प्र योज्य सामग्री का विवरण	यूनिट	मात्रा (कि0ग्रा0)	आवेदन पत्र का मूल्य (रू0)	धरोहर धनराशि रूपये में (एफ0डी0आर0) मात्र	नीलामी का दिनांक–
1	2	3	4	5	6	7
1	जला हुआ पी0वी0सी0 कोटेड ताँबे का तार	कि0ग्रा0	5000	265.00	133500.00	18.01.2018

नीलामी की शर्तेः–

1. बोलीदाता को अपनी फोटो पहचान पत्र, निवास स्थान, कार्यालय के पते तथा दूरभाष संख्या, मोबाईल फोन, आयकर एवं व्यापार कह / जी0 एस0 टी0 क्यियरेंस नोटरी से सत्यापित करा कर नीलामी के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. नीलामी निर्धारित तिथि को गठित समिति के समक्ष की जायेगी।
3. उपरोक्त नीलामी की सामाग्री ''जहाँ है, जिस स्थिति में हैं'' के आधार पर नीलामी की जायेगी।
4. नीलामी की जाने वाली सामग्री का निरीक्षण आवेदन पत्र क्रय किये जाने के पश्चात अपरान्ह 2.00 बजे से सायंकाल 4.00 बजे के मध्य केन्द्रीय भण्डार नलकूप खण्ड तृतीय, इलाहाबाद में किसी कार्य दिवस में किया जा सकता है।
5. उच्चतम बोली समिति के अनुमोदन के पश्चात ही प्रभावी मानी जायेगी।
6. नीलामी की अन्तिम स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।
7. उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा सम्पूर्ण बोली की 25 प्रतिशत की धनराशि उसी समय नीलामी स्थल पर नकद जमा करना होगा, जिसमें धरोहर धनराशि भी सम्मिलित होगी। शेष 75 प्रतिशत धनराशि तथा देय जी0 एस0 टी0 (नियमानुसार) इत्यादि विक्रय स्वीकृत होने के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर जमा करना अनिवार्यहोगा, अन्यथा पूर्व में जमा 25 प्रतिशत धनराशि जब्त हो जायेगी।
8. नीलामी प्रक्रिया एवं अन्य में अन्तिम निर्णय समिति का मान्य होगा, तथा नीलामी बोली संतोषजनक न होने की स्थिति मे नीलामी प्रक्रिया को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार समिति के पास सुरक्षित होगा।
9. सक्षम अधिकारी द्वारा बोली अस्वीकृत होने पर 25 प्रतिशत जमा धनराशि वापस कर दी जायेगी।
10. नीलामी की समस्त प्रक्रिया वि0ह0पु0 खण्ड–5 के पैरा 260 ए एपेन्डिक्स XIX-D अन्तर्गत की जायेगी।
11. धरोहर धनराशि मात्र एफ0डी0आर0 के रूप मे प्राप्त की जोयगी जो **अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड तृतीय, इलाहाबाद** के पक्ष में देय होगा। अन्य किसी भी रूप में धरोहर धनराशि मान्य नही होगी।
12. नीलामी की अन्तिम बोली पर वैट चार्ज नियमानुसार देय होगा।
13. यदि नीलामी की तिथि को राजकीय अवकाश या किन्ही अन्य कारणो से अवकाश घोषित हो जाता है तो नीलामी की कार्यवाही ठीक अगले कार्यदिवस में 02 बजे से सम्पन्न किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड तृतीय, इलाहाबाद

कार्यालय का पताः–
अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड तृतीय,
बडा बघाड़ा, नलकूप कालोनी इलाहाबाद।